

जनपद-अमेठी में विगत 02 वर्षों में 22 शिक्षकों को निलम्बित किया गया है।

क्र० सं०	निलम्बित शिक्षक का नाम व पदनाम	आरोपित बिन्दु
1	श्री इशहाक खॉ, प्र०अ०, उ०प्रा०वि०- खरगपुर, भादर	1.विद्यालय के कक्षा-कक्ष की फर्श टूटी एवं गंदगी होने। 2.विद्यालय का वातावरण प्रदूषित तथा शिक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितता। 3.लापरवाही पाये जाने के आरोप में।
2	श्री आशीष कुमार सिंह, प्र०अ०, प्रा० वि०- पूरे दहपेल, विकास खण्ड-जामों	विद्यालय में बच्चों से धूम्र-पान सामग्री मंगवाने एवं विद्यालय में मदिरा का सेवन कर ए०आर०पी० से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में।
3	श्री अरुण कुमार सिंह, प्र०अ०, उ०प्रा०वि०- भावलपुर, संग्रामपुर	विद्यालय के प्र०अ० से अभद्र व्यवहार एवं जीवन बरबाद करने की धमकी के आरोप में।
4	श्रीमती सीता देवी, स०अ०, प्रा०वि०-पूरे पंडित का पुरवा, अमेठी	स्थानान्तरण का शपथ-पत्र देने के बावजूद विद्यालय में कार्य-भार ग्रहण न करने के आरोप में।
5	श्री स्वाती नाथ गुप्ता, प्र०अ०, प्रा०वि०-पूरे भोजई मिश्र, विकास खण्ड-भादर	खण्ड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में बिना सूचना के कई दिनों से अनुपस्थित एवं विभागीय सूचना का आदान-प्रदान न करने के आरोप में।

6	श्री नीरज कुमार सिंह, प्र0अ0, प्रा0वि0- गनीपुर, विकास खण्ड- भादर	1- बिना किसी सूचना के अनुपस्थित । 2- सप्ताह में 02 या 03 दिन विद्यालय में अनुपस्थित पाये जाने पर प्रभावशाली लोगों से दबाव बनाना। 3- कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि सही तरीके से उपयोग न करना। 4- सुरक्षा शपथ के पेन्टिंग कार्य न कराने। शौचालय निष्प्रयोज्य तथा दरवाजे भी क्षतिग्रस्त पाये जाने के कारण ।
7	श्री अमरेश सिंह, स0अ0, उ0प्रा0वि0- मोहना, विकास खण्ड- बहादुरपुर	1- मा0 प्रधान मंत्री एवं अन्य मा0 प्रतिनिधि के सम्बन्ध में अभद्र टिप्पणी के आरोप में। 2- उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के विपरीत आचरण।
8	श्री लाल विहारी, स0अ0, उ0प्रा0वि0- जरौटा, संग्रामपुर।	खण्ड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में इं0प्र0अ0 को धमकी व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग व प्रतिदिन विद्यालय से समय से पहले जाने के आरोप में।
9	श्री मोलहूराम, स0अ0, उ0प्रा0वि0- सिठौली, जगदीशपुर	जेल में निरुद्ध होने के कारण।
10	श्री राजाराम यादव, प्र0अ0, कम्पोजिट वि0-विजरा, भादर द्वारा	1- सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार। 2- टाइम और मोशन का पालन न करना। समय पर विद्यालय न खोलना तथा बच्चों से विद्यालय का ताला खुलवाना। 3- विद्यालय में तैनात सफाई कर्मियों के द्वारा विद्यालय में उपस्थिति न देना।

		4- उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 में विहित प्राविधानों के विपरीत है।
11	श्री संतोष कुमार पाल, स0अ0, प्रा0वि0-पूरे भोला पहाडगंज, गौरीगंज	1- लगभग 04 वर्ष पूर्व से विद्यालय नहीं आना 2- अदिनांकित चिकित्सा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अध्यापक उपस्थिति पंजिका में रखा गया है परन्तु ऑन लाइन अवकाश का आवेदन नहीं किया गया है। 3- निरीक्षण तिथि को भी विद्यालय में एम0डी0एम0 नहीं बना था। 4- ऑनलाइन आवकाश स्वीकृत न किया जाना और लगातार विद्यालय से गायब रहना। 5- दिनांक-13.10.2021 के द्वितीय पाली से दिनांक -09.11.2021 तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये जाने के आरोप में।
12	श्री प्रमोद कुमार सोनी, प्र0अ0, कम्पोजिट विद्यालय तुलसीपुर, गौरीगंज	निर्वाचन 2022 मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय में अनुपस्थित पाये जाने के आरोप में।
13	श्रीमती किरन, इं0 प्र0अ0, कम्पोजिट विद्यालय विजयपुर, बहादुरपुर	1- निरीक्षण दिनांक-25.11.2021 को एम0डी0एम0 पंजिका में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अनुभाग से नामांकित 100 एवं 62 के सापेक्ष 62 व 38 बच्चों द्वारा भोजन ग्रहण करना दर्शाया गया। जबकि मौके पर उपस्थित बच्चों की गणना करने पर दोनो अनुभाग में कुल मिलाकर 60 बच्चे उपस्थित पाये गये।

		2- दिनांक-24.11.2011 को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का सार्वजनिक अवकाश के दिन इं0प्र0अ0 विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनाये जाने । 3- दिनांक-24.11.2021 के दिन बुधवार को सार्वजनिक अवकाश के दृष्टिगत निरीक्षण तिथि 25.11.2021 को मीनू के अनुरूप दूध का वितरण किया गया कि छात्रों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दिनांक को दूध का वितरण नहीं कराया गया, जिसकी पुष्टि रसोईया द्वारा की गयी।
14	श्री राकेश कुमार यादव, प्र0अ0, प्रा0वि0-दसईपुर, भादर	विद्यालय के शिक्षक को गालियां एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में।
15	श्रीमती कुसुम सोनी, प्र0अ0, प्रा0वि0-वनपुरवा, अमेठी	विद्यालय में नामांकित दलित छात्र/छात्राओं से मध्यान्ह भोजन में जातिवाद एवं दुर्व्यवहार करने के आरोप में।
16	श्री रणविजय सिंह, इं0प्र0अ0, कम्पाजिट विद्यालय टेवसी, शुकुलबाजार	1- समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाश में आया कि पूरे प्रदेश में स्कूल खुले हैं लेकिन प्रातः 9:48 बजे तक लटकता रहा ताला। 2- विद्यालय से अनुपास्थित रहने, 3- रंगाई-पुताई व पानी की व्यवस्था ठीक न होने 4- मध्यान्ह भोजन रजिस्टर में छात्र/ छात्राओं का उपस्थिति के सापेक्ष अधिक संख्या का दर्ज करने के आरोप में।
17	श्री रणजीत कुमार, प्र0अ0, प्रा0वि0-कटारी	1- विद्यालय से अनुपास्थित रहने,

	प्रथम, जामों	2- रंगाई-पुताई व पानी की व्यवस्था ठीक न होने 3- मध्यान्ह भोजन रजिस्टर में छात्र/ छात्राओं का उपस्थिति के सापेक्ष अधिक संख्या दर्ज करने के आरोप में।
18	श्री अकील अहमद प्र0अ0, प्रा0वि0-जोरई इटरौर, जगदीशपुर	1- जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता न पाये जाने तथा छात्र/छात्राओं द्वारा यूनिफार्म, जूता-मोजा न पहने पाये गये। 2- मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत जो खाना बच्चों को दिया गया था उसकी गुणवत्ता सही नहीं पायी गयी। खाद्यान्न सामग्री में घुन पाये गये। 3- पिसे मसाले डिब्बे में पाये गये। ब्राण्डेड पेकेट नहीं पाया गया। 4- दिनांक-10.03.2021 को खण्ड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये ।
19	श्री अमित पाण्डेय, स0अ0, प्रा0वि0-जोरई इटरौर, जगदीशपुर	जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता न पाये जाने तथा छात्र/छात्राओं द्वारा यूनिफार्म, जूता-मोजा न पहने पाये जाने के आरोप में।
20	श्री चंद्रशेखर सिंह, प्र0अ0, प्रा0वि0- अलीनगर, जगदीशपुर	विद्यालय परिसर में पान-मसाला, एवं धूम्रपान करने के आरोप में।
21	श्री विजय पाल, इं0प्र0अ0, उ0 प्रा0 वि0- दिछौली, जगदीशपुर	डी0बी0टी0 के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं की फीडिंग/सत्यापन न करने के आरोप में।

22	श्री रमाकान्त श्रीवास्तव, प्र0अ0, प्रा0वि0-आलमपुर, जगदीशपुर	1- खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदीशपुर के निरीक्षण दिनांक-16.03.2022 को बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये। 2- इसके पूर्व भी दिनांक-09.02.2022 को निरीक्षण के समय पाया गया कि इनके हस्ताक्षर उपस्थिति पंजिका पर हैं, परन्तु वह विद्यालय में अनुपस्थित पाये गये। 3- विद्यालय प्रांगण व अध्यापन कक्ष की साफ-सफाई न होना। 4- विद्यालय में समय से उपस्थिति नहीं दर्ज करायी जाती है और न ही शिक्षण व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है।
----	--	---

अब तक कुल 19 शिक्षकों को निलम्बन से बहाल किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के क्रम में बहाल किया गया है।

संदीप सिंह

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बेसिक शिक्षा विभाग